मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 92

25.11.2024 को उत्तर के लिए

राजस्थान में प्रदूषण

92. श्री लुम्बा रामः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण राजस्थान राज्य में भूमि प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए क्या रणनीति बनाई गई है;

(ख) राज्य में, विशेष रूप से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के संदर्भ में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राज्य में वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) स्वास्थ्य पर उक्त प्रदूषण के प्रभाव को कम करने की क्या योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ)

स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने देश भर में औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

i. पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक" अधिसूचित करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक उन स्थानों पर लागू होते हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं।

ii. सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण संभाव्यता वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों और साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और स्व-नियामक प्रणाली तथा

प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से प्रभावी अनुपालन हेतु ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्सर्जित व्यावसायिक बहःस्रावों और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों के वास्तविक समय के आंकडों को सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करता है और यदि प्रदूषक मानकों का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट जारी होता है और इसे औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

iii. भारत में संभावित/पुष्टिकृत दूषित स्थलों की जांच के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीपीसीबी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं:

क. “दूषित स्थलों का आंकलन और उपचार” पर मार्गदर्शी दस्तावेज़।
ख. “दूषित स्थलों की पहचान, निरीक्षण और आंकलन” के लिए संदर्भ दस्तावेज़।

IV. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले/मानकों को प्राप्त न करने वाले 130 शहरों (एनएसी) की पहचान की है, जिनमें शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राजस्थान के पाँच शहरों अर्थात् जयपुर, जोधपुर, कोटा उदयपुर और अलवर को शामिल करते हुए इन योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

स्वच्छ वायु कार्य योजना, शहरी विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, एमएसडब्ल्यू को जलाना, निर्माण सामग्री और उद्योगों को अल्पकालिक प्राथमिकता कार्रवाई के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकाय, यातायात विभाग, पुलिस विभाग, एसपीसीबी/पीसीसी आदि जैसी जिम्मेदार एजेंसियों के साथ माध्यम से दीर्घ अवधि की सीमा में कार्यान्वित करने के लिए लक्षित करती है। एनसीएपी का उद्देश्य एनसीएपी और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के अलावा राज्य कोष से वित्त पोषण और एसबीएम 2.0, अमृत, सतत, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वायु गुणवत्ता पर असर डालने वायु प्रदूषण को निवारण, नियंत्रण और उपशमन करना है। एनसीएपी और XVFC (पंद्रहवें वित्त आयोग) के तहत, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राजस्थान के 5 एनएसी को कुल 610.25 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है

और दिनांक 19.11.2024 तक 525.16 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। जारी की गई राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

प्राण (PRANA) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राजस्थान के उपर्युक्त पांच एनएसी में एनसीएपी/ पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करके निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं।

(क) सड़कों के एक छोर से दूसरे छोर तक डामर बिछाकर पक्का करना और उन्हें गड्ढों से मुक्त बना रखना।
(ख) यातायात गलियारों, खुले क्षेत्रों, उद्यानों, सामुदायिक स्थानों, स्कूलों और आवासीय सोसाइटियों को हरा-भरा बनाना।
(ग) प्रदूषण के स्रोत और नियंत्रण उपायों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।
(घ) शहर में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कई अलग-अलग स्थानों/क्षेत्रों का निर्माण करना।
(ङ) नगरपालिका की नालियों की सफाई और गाद निकालने से एकत्रित ठोस अपशिष्ट को निपटान के लिए हटाना।
(च) सड़क की सतहों की नियमित सफाई और धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करने हेतु वाटर स्प्रिंकलर की खरीद।
(छ) अपशिष्ट का नियमित संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक रूप से निपटान।
(ज) सड़क की धूल/गाद को नियमित रूप से हटाने के लिए यांत्रिक स्वीपर की खरीद।

***

अनुलग्नक I

प्राण के अनुसार दिनांक 19.11.24 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जारी और उपयोग की गई धनराशि का शहरवार विवरण

क्र.सं.	मानकों को प्राप्त न करने वाले शहर	वित्तीय प्रगति: एनसीएपी वित्त पोषित शहर												
		जारी की गई धनराशि (रूपए करोड में)						उपयोग की गई धनराशि (रूपए करोड में)						
		वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल
1	अलवर	0.06	1.9	-	7.66	12.27	**21.89**	-	-	0.04	1.65	5.20	6.85	**13.74**
2	उदयपुर	0.06	1.9	-	10.6	4.94	**17.50**	-	-	1.20	0.75	8.22	3.37	**13.55**
3	जयपुर*	6.00	-	-	-	-	**6**	-	2.30	2.73	-	-	-	**5.04**
4	जोधपुर*	6.00	-	-	-	-	**6**	-	1.67	3.12	0.61	0.38	-	**5.78**
5	कोटा*	6.00	-	-	-	-	**6**	-	1.6	3.96	0.43	-	-	**5.99**
कुल		**18.12**	**3.8**	**-**	**18.26**	**17.21**	**57.39**	**-**	**5.57**	**11.05**	**3.44**	**13.8**	**10.22**	**44.10**

* पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित किया गया लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी एनसीएपी के तहत धनराशि जारी की गई

क्र.सं.	मानकों को प्राप्त न करने वाले शहर	वित्तीय प्रगति: पंद्रहवें वित्त आयोग में वित्तपोषित शहर										
		जारी की गई धनराशि (रूपए करोड में)					उपयोग की गई धनराशि (रूपए करोड में)					
		वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल
1	जयपुर	165	90.35	64.5	18.85	**338.70**	-	4.18	143.85	155.99	26.45	**330.47**
2	जोधपुर	62	12.34	-	38.35	**112.69**	-	2.10	34.60	21.77	5.12	**63.59**
3	कोटा	54	20.25	21	6.22	**101.47**	-	5.22	50.21	30.09	1.49	**87.01**
कुल		**281**	**122.94**	**85.5**	**63.42**	**552.86**	**-**	**11.49**	**228.66**	**207.85**	**33.06**	**481.07**